Schedule XLII-High Court No.(J) 9[Old(M)164]

FORM OF ORDER SHEET

IN THE COURT OF THE DIVISIONAL COMMISSIONER, PURNEA.

Anganbari Appeal No.- 45/2022

Ladali Kumari .... Appellant.

Versus

The State of Bihar & Ors .... Respondents.

Web Copy Not Official.

Serial No.	Date of order of proceeding.	Order with signature of the court.	Office action taken with date
1	2	3	4
	10.08.2023	**आदेश** प्रस्तुत अपील वाद जिला प्रोग्राम पदाधिकारी, अररिया द्वारा आँगनबाड़ी अपील सं0–74/2018–19 में दिनांक–29.12.2021 को पारित आदेश के विरूद्ध दायर किया गया है। विलंब क्षांत हेतु पृथक आवेदन दाखिल है। सुना। निम्न न्यायालय आदेश एवं अभिलेख में संलग्न सुसंगत सभी कागजातों का अवलोकन तथा समीक्षोपरांत यह स्पष्ट है कि प्रस्तुत मामला समाज कल्याण विभाग (ICDS, निदेशालय) बिहार, पटना के पत्रांक–990 दिनांक–05.04.2016 द्वारा निर्गत मार्गदर्शिका 2016 में निरूपित प्रावधानों के अंतर्गत सेविका/सहायिका चयन की प्रक्रिया संपन्न की गई है। उक्त मार्गदर्शिका की कंडिका–12 में स्पष्ट उल्लेख है कि जिला प्रोग्राम पदाधिकारी के आदेश के विरूद्ध कंडिका–13 (अपील) में 30 दिनों के अंदर जिला पदाधिकारी के न्यायालय में अपील दायर की जा सकेगी जो कि स्वयं अथवा उनके द्वारा प्राधिकृत अपर समाहर्त्ता सुनवाई के लिए प्राधिकृत होंगे तथा जिला पदाधिकारी/अपर समाहर्त्ता के द्वारा पारित आदेश अंतिम आदेश होगा। अतः उपर्युक्त के आलोक में प्रस्तुत पुनरीक्षण वाद को इस न्यायालय के क्षेत्राधिकार से परे पोषणीय नहीं (Not Maintainable) पाते हुए मामले के गुण–दोष (Merit) पर बिना विचार किये अस्वीकृत किया जाता है। पक्षकार यदि चाहें तो मामले के विचारण/निष्पादन हेतु संबंधित जिला पदाधिकारी के समक्ष जाने के लिए स्वतंत्र हैं। विलंब क्षांत के विचारण हेतु सक्षम प्राधिकार द्वारा इस अवधि को ध्यान में रखा जायेगा। इसी के साथ वाद की कार्रवाई समाप्त की जाती है। आदेश की प्रति निम्न न्यायालय को भेजें। लेखापित एवं शुद्धित। आयुक्त, पूर्णियाँ प्रमंडल, पूर्णियाँ। आयुक्त, पूर्णियाँ प्रमंडल, पूर्णियाँ।	

Web Copy. Not Official.